

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या

12/158/2018

प्रवेश तिथि

09-10-2018

निर्णय दिनांक

30-01-2019

01- हरिया पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर

02- कन्हैया पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर

03- नन्दराम पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर

04- मुखराम पुत्रान् हीरालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बाढ-बिलन्दी तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर राज०

अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार मालाखेड़ा, जिला अलवर

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार मालाखेड़ा

दिनांक 05.09.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू०

राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 10/2018

उपस्थित:-

01-श्री राधेलाल गुर्जर

-वकील अपीलाण्ट

-:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेड़ा के आदेश दिनांक 05.09.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम बिलन्दी की सरकारी सिवायचक गै०मु० रास्ता भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1038/0.10 है०, 1039/0.05 है० में से 0.11 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ० को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बिलन्दी की सरकारी सिवायचक गै०मु० रास्ता भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1038/0.10 है०, 1039/0.05 है० में से 0.11 है० पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 10.08.2018 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 05.09.2018 के विरुद्ध दिनांक 09.10.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 09.10.2018 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोड़ना बताया गया है तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने का निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 22.10.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। पटवारी हल्का के बयान भी छपे-छपाये साइक्लोस्टाईल प्राफॉर्मा पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दर्ज किये गये है। अतः अपील अपीलांट तहसीलदार मालाखेड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अगर विवादित आराजी पर अपीलांट का अतिक्रमण पाया जाता है तो उसके विरुद्ध एल आर एक्ट के तहत धारा 91(6) के तहत कार्यवाही की जावे। वकील अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि वो दिनांक 20.02.2019 को तहसीलदार रामगढ़ के न्यायालय में उपस्थित हों। नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने पर अपीलांट की तामील मानी जावेगी।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30-01-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(आ०पी०जे०)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)